कार्यवाही विवरण

M/s CPCBL Steels and Power Private Limited, Village-Newra, District-Bilaspur (C.G.) के Proposed Installation of Iron Ore Beneficiation Plant (1x1.0 MTPA), Palletization Plant (1x0.6 MTPA) with Coal Gasifier (5x7000 m^3/hr), Sponge Iron Plant (2x350 TPD DRI Kilns), Induction Furnaces (3x20 T) with matching LRF & CCM, Hot Rolling Mill (0.2 MTPA) with 1x15 TPH oil fired Re-heating Furnace (optional along with 34 MW Capacity Captive Power Plant (16 MW WHRB based +18 MW AFBC based) के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 28/10/2022 को दोपहर 12.00 बजे, शासकीय हाईस्कूल खेल मैदान, ग्राम–गनियारी, तहसील–सकरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार M/s CPCBL Steels and Power Private Limited, Village-Newra, District-Bilaspur (C.G.) के Proposed Installation of Iron Ore Beneficiation Plant (1x1.0 MTPA), Palletization Plant (1x0.6 MTPA) with Coal Gasifier (5x7000 m^3/hr), Sponge Iron Plant (2x350 TPD DRI Kilns), Induction Furnaces (3x20 T) with matching LRF & CCM, Hot Rolling Mill (0.2 MTPA) with 1x15 TPH oil fired Re-heating Furnace (optional along with 34 MW Capacity Captive Power Plant (16 MW WHRB based +18 MW AFBC based) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 19/09/2022 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 19/09/2022 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 28/10/2022 को प्रातः 12:00 बजे शासकीय हाईस्कूल खेल मैदान, ग्राम–गनियारी, तहसील–सकरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला–बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत नेवरा, कपसिया कला, गनियारी, भाड़म, भरारी, मोहनभाठा, भुण्डा, चोरभट्ठीकला, घोघाडीह, बेलटुकरी, गोकुलपुर, तहसील–सकरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को 01 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 28/10/2022 को दोपहर 12:00 बजे, शासकीय हाईस्कूल खेल मैदान, ग्राम–गनियारी, तहसील–सकरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री आर. एस. कुरवंशी, अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री ए. के सिन्हा, पर्यावरण सलाहकार, 100 कोलिकापुर, कोलकाता के द्वारा M/s CPCBL Steels and Power Private Limited, Village-Newra, District-Bilaspur (C.G.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री विजय उजागर, ग्राम–भरारी** :– हमारे तरफ से सहमति पत्र है। हमारे दोस्त लोग का सहमति है।

2. **श्री कमलेश टंडन, ग्राम–भरारी** :– उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया।

3. **श्री सौरभ टंडन, ग्राम–चोरभट्टी** :– मेरा सहमति है। मेरा दोस्तों का भी सहमति है।

4. **श्री राजेश साहू, ग्राम–खरगहनी** :– वेलकम ला खोलवाये हव। एतका बस्सा थे। गलत चीज के कार्यवाही नहीं करतथन। हमर जीना हराम हे। 50 से 100 एकड़ में गंदा पानी भराये है मैं कई घव शिकायत करे हव। तालाब खोदवाये हे। सब पानी मिलही। आज जाकर देख जहरयुक्त गंदा पानी हे। मोर गांव के लड़का चिपका के मर गये हे। खोलना है नेवरा मा प्रस्ताव नहीं ले हे। जनता के सेवा करना है। कंपनी खोले बर अलग से रजिस्ट्री होते, कई गुना मा खरीदत थे। कोयला, भूसा ला उलद देही। थाना, पुलिस गरीब के नहीं सुनथे। सही चीज का ध्यान मा रखते। गरीब आदमी ला मरही दुआ, बदुआ देही। ये गलत करही सुख शांति नहीं रईही। खरगहनी मा कोल डिपो बर अति लडे हन। कंपनी ला खोलहे तो भूख हड़ताल से कैंसर, दमा होवत हे, सड़क मा मर जाना है।

5. **श्री रवि कुमार सोनी, जनपद सदस्य, ग्राम–भाडम** :– बहुत दुखत क्षण है। जन सुनवाई हुई एक भी जनता के पक्ष में नहीं गया है। ये एक उपचारिकता है। कृषि जमीन पर प्लांट नहीं दिया जाता है। इनको हमारे से मतलब नहीं है। हमारे वोट से मतलब है, पैसे से मतलब है। क्या पर्यावरण अधिकारी लिखित में देंगें। हमारे खेतो को, स्वास्थ्य को, नुकसान नहीं होगा। आज 60 एकड़ जमीन गई है। आने वाली फसल नुकसान होगा ही। आपकी जमीन में फसल नहीं होगा। फिर से जन सुनवाई होगी। क्योंकि उनको नहीं पता उनके स्वास्थ्य का नुकसान होने वाला है। क्या किसानों को नष्ट करने, खेती योग्य जमीन कैसे नुकसान होता है। भू–जल स्त्रोत का, गांव में धूल–धुआं नहीं जायेगी। भू–जल का नुकसान होगा, खेतो को नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा। प्लांट हमारे सुविधा के लिए क्या करेंगी। जो घुटकू का हाल हुआ है, वो नेवरा का भी वो हाल होगा।

6. **श्री मुन्जला साहू, वार्ड 11 पंच** :– मैं कालीदास की तरह देख रहा हॅू। इण्डस्ट्रीयल एरिया में क्या हाल होता है। पर्यावरण का नुकसान पूरे जीव व मानव समाज को देखना होता है। मैं इसका विरोध करता हॅू। इसके अंतिम तक विरोध में लड़ना चाहेंगे। पालन जीरो बटे सन्नाटा है। एक भी चीज ग्राम में नहीं हो रहा है। प्लांट के स्थापित होने से एक–एक लाख रूपये लगेगा, लोगों के घरो से मेडिकल के लिए। इतना चाका–चौंध विकास नहीं चाहिए। हम सभी क्षेत्रवासी खुशी से निवास कर रहे है।

7. **श्री दिलीप कुमार रात्रे, ग्राम पंचायत भुण्डा** :– मुंह से बड़ा–बड़ा दबा के आये है। वो खुल गया है, मैं विरोध करता हॅू। अंतिम सांस तक लडूंगा। मैं इस कंपनी का विरोध करता हॅू।

8. **श्री रामचरन सूर्यवंशी, ग्राम–नेवरा** :–आज तक बोला गया है वो, आज तक मिला नहीं है। इंदिरा आवास गरीब आदमी हॅू। गरीब का बदुआ न ले। किसी को बोलने का हक नहीं है।

9. **श्री रामचंद्र यादव, ग्राम–नेवारा वार्ड 13 पंच** :– मैं यह कहना चाहता हूॅ हमारे ग्राम पंचायत के किसान इसी पर आधारित है, प्लांट खुलने का संदेश मिला था। हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाया है। इस प्लांट से हमको नुकसान दिखाई मिल रहा है। हमें हानि, नुकसान हो रहा है। लालीपॉप का बहाना देकर, लालच देकर, दलाल लगाकर, हमें भडकाया जा रहा है। 11 गांव लिखित में दिया गया है। सर्वे के हिसाब से 21 गांव आ रहा है। हमको घूमाया जा रहा है। ये स्टील प्लांट बंद हो, ये योजना नहीं चाहिए। फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। हम स्वयं कृषि पर आधारित है। बंजर जमीन पर, वहां पर क्यों नहीं खोला जा रहा है। ये लॉलीपॉप के बहाने नहीं आना है। इतने कम जनसंख्या आये है। हमारे गांव में टेंट लगना चाहिए। चालू कर दे।

10. **श्री रोशन निर्मलकर, ग्राम–भरनी** :– सहमत है।

11. **श्री दिलीप कुमार साहू, ग्राम–बेलटुकरी** :–यहां पर नहीं खुलना चाहिए। धुआं ला, कहां रोकवा सकही, नहीं खुलना चाहिए।

12. **श्री रामेश्वर प्रसाद, ग्राम–नेवरा** :– हमर गांव में स्टील प्लांट का परमीशन दे चुके है। एक गुमराह करके नाम से बुलाये हे। गांव वाले मन ला, तुमर बर लडतहन बोलही। गाड़ी से धुआं निकलत हे, हमर बीच मा स्टील प्लांट खुलत हे, स्टील प्लांट नेवरा मा नहीं लाना है। स्टील प्लांट के सम्पूर्ण विरोध है। यहां दमा, कैंसर होवत हे। बाकी कुछ नहीं करही।

13. **श्रीमती धनैया बंजारे, ग्राम–नेवरा** :–हमर गांव मा स्टील प्लांट नहीं खुले। अनाज खाते कि पैसा खाते। जमीन ला बंजर बनाथे। किसान आदमी कमा के देथन। अनाज इमन नहीं खाये। पैसा खाकर पेट भरथे। हमर गांव मां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। नई खोलन देवन। अनाज खाकर गुजर चलत हे।

14. **श्रीमती आनिता खाण्डे, जनपद सदस्य, ग्राम–नेवरा** :– प्लांट नेवरा में नहीं खुलना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ी में क्या होगा। ये स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

15. **श्रीमती अनिता पात्रे, ग्राम–नेवरा सरपंच** :–स्टील प्लांट का मेन स्त्रोत जल है। हमर लईका के स्वास्थ खराब होही। एक–एक आकर विरोध करव, गांव के महिला बिलकुल आगे आना चाहिए। हमन विरोध मा हन। स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। एक–एक करके आगे आये। मौत के घाट उतारना चाहथन कि, विरोध नहीं कर सके तो कुछ नहीं कर सकन।

16. **श्रीमती बसंती कोल, ग्राम–नेवरा** :–अपन लोग लईका मन ला खेत ला बोवत खावत हन। स्टील प्लांट के राख होही, स्टील प्लांट नेवरा मा नहीं खुलना चाहिए।

17. **श्री करूणा बघेल, ग्राम–नेवरा, वार्ड नं. 9 पंच** :–स्टील प्लांट न खुले।

18. श्री बहोरिक लाल साहू, ग्राम–गोकुलपुर :– गांव में पानी नहीं होने के कारण सब मर रहे है। स्टील प्लांट मा जायेगां जमीन। हमारे गांव में टयूबबेल है, न कि हमारे गांव में हेण्डपंप है।

19. श्री अमृत साहू, ग्राम–नेवरा :– यहां स्टील प्लांट के दुष्परिणाम हवा प्रदूषित होही। क्या आप मन चाहथव। एनओसी में दस्तख्त करके दे दिये हे। एनओसी मा दस्तखत करा। हमर साथ विश्वासघात होवत हे। प्लांट के मालिक ला फायदा हे। आने वाला समय ला देखते हुए प्लांट न खुले। हवा, जमीन खराब होथे। सादा कपड़ा ला पहन के नई घूम सका। प्लांट नहीं चाहिए।

20. श्री दिलीप अग्रवाल, बिलासपुर :– ये जनसुनवाई पूरी तरह फर्जी है। आपको ज्ञापन दिया गया है। पूरी तरह फर्जी है। ईआईए जिस कंपनी द्वारा बनाई गई है, फर्जी है, ये मंच सजा है ये भी फर्जी है। राधिका वाटर पार्क, बिट्रीश हॉस्पिटल का उल्लेख नहीं है। राजस्व, उपस्वास्थ केन्द्र, दो हायर सेकेण्ड्री स्कूल है। इतनी फोर्स लगाने की व्यवस्था क्या है। स्टील प्लांट खुल रहा है, पूरी ये जन सुनवाई पूरी तरह फर्जी है। 13 वीं बार मैं इस जन सुनवाई में आया हूॅ, ये गुलामी कर रहे है आपको छल रहे है। हमने हाईकोर्ट में अपील करेंगे। ये गुडांगर्दी बंद हो, जन सुनवाई बंद करो। फर्जी जनसुनवाई बंद करो। वापस जाओ। ये क्षेत्र, कृषि क्षेत्र है, सिलपहरी में उद्योग स्थापित क्यों नहीं कर रहे है। आपकी 10 साल की आयु खत्म हो जायेगी।

21. श्री लवलेश दुबे, ग्राम–कोटा :– यहां की वस्तुस्थिति के आधार, क्षेत्र अंचल बेरोजगारी की समस्या, इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए। जनता के विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, इस तरह की योजना का समर्थन करता हूॅ। इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति प्रवाहित होगा। इस अंचल के, इस क्षेत्र के, लोग गरीबी रेखा और बेकारी, बेरोजगारी झेलते हुए, बाहर के क्षेत्र में अपना जीवन–यापन करते है। उनके लिए अच्छी योजना के लिए, अतः मैं इसका समर्थन करता हूॅ।

22. श्री योगेश आचार्य, ग्राम–करगी रोड :– अभी जो मैंने देखा है। एक तरफ से मेरा कहना है प्लांट खुलना जरूरी है, जितने भी गरीब, मां–बाप व बच्चे के नौकरी नहीं होते। उन सबको नौकरी मिलने का साधन भी है, जो गरीब मां–बाप, हमारे बच्चो का भला या जीवन सवर जाये। यह प्लांट खुलना बहुत जरूरी है, बेरोजगारी के साथ गरीबी भी हटेगी।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1:18 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री ए. के सिन्हा, पर्यावरण सलाहकार, 100 कोलिकापुर, कोलकाता M/s CPCBL Steels and Power Private Limited, Village-Newra, District-Bilaspur (C.G.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई दोपहर लगभग 1:22 बजे सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 80 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 22 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100–150 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 53 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)